

अध्याय–III

विद्युत वितरण कम्पनियों के परिचालन
टर्नअराउंड से सम्बन्धित गतिविधियाँ

अध्याय-III

विद्युत वितरण कम्पनियों के परिचालन टर्नअराउंड से सम्बन्धित गतिविधियाँ

उदय योजना के अन्तर्गत परिचालन टर्नअराउंड में हानि को कम करने एवं राजस्व वृद्धि से सम्बन्धित परिचालन लक्ष्यों की प्राप्ति के द्वारा वर्ष 2019-20 तक एटीएंडसी हानियों को 14.86 प्रतिशत तक कम करना तथा एसीएस-एआरआर अंतर को समाप्त करना परिकल्पित था।

बिलिंग एवं संग्रहण दक्षता में कमी के कारण वितरण कम्पनियाँ एटीएंडसी हानियों में कमी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहीं। मार्च 2020 में वितरण कम्पनियों की एटीएंडसी हानियाँ 30.02 प्रतिशत थी जो मार्च 2022 में और अधिक बढ़कर 31.19 प्रतिशत हो गयी।

विद्युत क्रय लागत को कम न करने तथा टैरिफ निर्धारण में यूपीईआरसी द्वारा मानदण्डों से अधिक व्यय को अस्वीकृत करने के कारण वितरण कम्पनियाँ एसीएस-एआरआर अंतर को समाप्त करने में भी विफल रहीं। मार्च 2020 को वितरण कम्पनियों का एसीएस-एआरआर अंतर ₹ -0.34 प्रति यूनिट था जो मार्च 2022 को बढ़कर ₹ -0.56 प्रति यूनिट हो गया।

वितरण कम्पनियाँ विभिन्न परिचालन लक्ष्यों जैसे वितरण ट्रांसफार्मर मीटरिंग, स्मार्ट मीटरिंग, टैरिफ याचिकाओं को समय पर दाखिल करने आदि को प्राप्त नहीं कर सकीं जिसने अंततः वितरण कम्पनियों के परिचालन टर्नअराउंड को प्रभावित किया।

प्रस्तावना

3.1 उदय एमओयू, विद्युत वितरण कम्पनियों की परिचालन दक्षता सुधारने के उद्देश्य से परिचालन गतिविधियों को समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित करना निर्दिष्ट करता है। परिचालन सुधार के परिणाम को एटीएंडसी हानियों में कमी एवं आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) और औसत राजस्व प्राप्ति (एआरआर) के अंतर को समाप्त करने के परिचालन निष्पादन संकेतकों के माध्यम से मापा जाना था।

उदय योजना में परिचालन गतिविधियों का कार्यान्वयन

3.2 परिचालन गतिविधियों के कुशल एवं प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वितरण कम्पनियों को एमओयू में परिकल्पित गतिविधियों का कार्यान्वयन करना अपेक्षित था। योजना के अन्तर्गत वितरण कम्पनियों द्वारा परिचालन गतिविधियों के सफल निष्पादन के पश्चात् निम्नलिखित परिणामों की परिकल्पना की गयी थी:

- 2019-20 तक एटीएंडसी हानियों को 14.86 प्रतिशत तक कम करना और;
- 2019-20 तक एसीएस-एआरआर अंतर को समाप्त करना।

उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, उदय एमओयू में मुख्य लक्षित क्षेत्रों के लिए वितरण कम्पनियों के प्रमुख दायित्वों/प्रतिबद्धताओं की सूची उल्लिखित है, जैसा कि नीचे तालिका 3.1 में वर्णित है।

तालिका 3.1: उदय योजना के अन्तर्गत परिचालन मापदण्ड एवं प्रत्याशित लाभ

क्र.सं.	परिचालन मापदण्ड	प्रत्याशित लाभ
1	एटीएंडसी हानियों में कमी प्रदर्शित करने वाले क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के घंटों में बढ़ोतरी। (एमओयू का क्लॉज 1.3 (डी))	हानियों को कम करने के लिए स्थानीय सहभागिता को प्रोत्साहित करना।
2	1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2015 तक बकाया, रिन्यूबल पर्वेज ऑब्लीगेशन (आरपीओ) को पूरा करना। वितरण कम्पनियाँ ब्रेकईवन बिन्दु अर्थात् वित्तीय वर्ष 2019-20 पर पहुँचने के पश्चात् तीन वर्ष के अंदर आरपीओ दायित्वों को पूर्ण करेंगी। (एमओयू का क्लॉज 1.3 (एफ))	विद्युत के रिन्यूबल संसाधनों को बढ़ावा देना।
3	हानि में कमी के उपाय जैसे समय-समय पर विद्युत चोरी नियंत्रित करने के लिए ‘नेम एंड शेम अभियान’, विभिन्न स्तरों पर हानि को कम करने के लक्ष्य तैयार करना और शीर्ष प्रबंधन को सूचित करने हेतु मीटर के प्रतिस्थापन, हानि में कमी एवं दिन-प्रतिदिन की प्रगति की निगरानी के लिए निष्पादन निगरानी एवं प्रबंधन प्रणाली एमआईएस को कार्यान्वित करना। (एमओयू का क्लॉज 1.3 (आई) i, ii एवं iii)	हानि में कमी
4	30 सितम्बर 2016 तक 100 प्रतिशत फीडर मीटरिंग एवं 30 सितम्बर 2017 तक 100 प्रतिशत वितरण परिवर्तक (डीटी) मीटरिंग। (एमओयू का क्लॉज 1.3 (आई) iv एवं v)	सुधारात्मक कार्रवाई के लिए फीडर और डीटी स्तर पर हानियों की निगरानी की क्षमता।
5	सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत धन की संस्वीकृति के अनुसार, मार्च 2018 तक भौतिक फीडर पृथक्करण। (एमओयू का क्लॉज 1.3 (आई) viii)	बेहतर भार प्रबंधन और ग्रामीण उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति में वृद्धि हेतु कृषि एवं गैर-कृषि उपभोक्ताओं के लिए फीडरों का पृथक्करण।
6	30 जून 2018 तक, कृषि उपभोक्ताओं के अलावा, प्रति माह 500 यूनिट से अधिक उपभोग करने वाले सभी उपभोक्ताओं और 31 मार्च 2020 तक, 200 यूनिट प्रति माह से अधिक उपभोग करने वाले सभी उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटरों का प्रतिस्थापन। (एमओयू का क्लॉज 1.3 (आई) ix)	चोरी को कम करने और मांग पक्ष प्रबंधन गतिविधियों एवं उपभोक्ता जुड़ाव के कार्यान्वयन में मदद करना।
7	2018-19 तक सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत धन की संस्वीकृति के अनुसार, 24x7 के अनुसार, 143.54 लाख बिना संयोजन वाले घरों को ट्राजेक्टरी के अनुसार मीटर युक्त विद्युत उपलब्ध कराना। (एमओयू का क्लॉज 1.3 (आई) x)	बिना संयोजन वाले घरों को विद्युत उपलब्ध कराना।
8	मांग पक्ष प्रबंधन और ऊर्जा दक्षता हेतु उपायों को करना जैसे कि, घरेलू और अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए एलईडी लाइट उपलब्ध कराना, नीतिगत ढाँचे के अनुसार चरणबद्ध तरीके से स्ट्रीट लाइट को एलईडी से प्रतिस्थापित करना, कम से कम 10 प्रतिशत मौजूदा कृषि पंपों को ऊर्जा दक्ष पंपों से प्रतिस्थापित करना। (एमओयू का क्लॉज 1.3 (जे) i, iii एवं iv)	पीक लोड एवं ऊर्जा उपभोग में कमी।
9	समयबद्ध टैरिफ संशोधन के लिए टैरिफ सम्बन्धी उपायों को करना जिसमें टैरिफ याचिकाओं को समय से दाखिल करना और वितरण कम्पनियों के वार्षिक लेखों को समय पर तैयार करना सम्मिलित है। (एमओयू का क्लॉज 1.3 (के))	टैरिफ आदेश का समय पर निर्गत होना।

स्रोत: उदय एमओयू के प्रावधान

उदय योजना के अन्तर्गत परिचालन टर्नअराउंड के उपायों के कार्यान्वयन की जाँच हेतु, लेखापरीक्षा ने उदय से पूर्व की परिचालन स्थिति, उदय के अन्तर्गत परिचालन गतिविधियों के लक्ष्यों की प्राप्ति और उदय के पश्चात् की परिचालन स्थिति का विश्लेषण किया।

उदय से पूर्व की परिचालन स्थिति तथा उदय के अन्तर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

3.3 सभी वितरण कम्पनियों की, एटीएंडसी हानि तथा एसीएस एवं एआरआर में अंतर के अनुसार, उदय से पूर्व की परिचालन स्थिति नीचे तालिका 3.2 में वर्णित है।

तालिका 3.2: उदय से पूर्व की परिचालन स्थिति सहित उदय के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

परिचालन मापदण्ड	2015-16 में उदय से पूर्व की स्थिति	लक्ष्य	2019-20 तक वास्तविक उपलब्धि	2019-20 तक उपलब्धि में कमी	2020-21 तक वास्तविक उपलब्धि	2021-22 तक वास्तविक उपलब्धि
एटीएंडसी हानि	39.86 प्रतिशत	मार्च 2020 तक 14.86 प्रतिशत	30.02 प्रतिशत	15.16 प्रतिशत	27.23 प्रतिशत	31.19 प्रतिशत
एसीएस-एआरआर अंतर	₹ - 0.33 प्रति यूनिट	मार्च 2020 तक ₹ 0.06 प्रति यूनिट का अधिशेष	₹ - 0.34 प्रति यूनिट	₹ 0.40 प्रति यूनिट	₹ - 0.94 प्रति यूनिट	₹ - 0.56 प्रति यूनिट

स्रोत: यूपीपीसीएल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, लेखापरीक्षा ने एटीएंडसी हानियों को लक्षित स्तर तक कम करने में विफलता और एसीएस एवं एआरआर अंतर को समाप्त न कर पाने के कारणों की संवीक्षा की। लेखापरीक्षा ने पाया किया कि एटीएंडसी हानियों के लक्षित स्तरों को प्राप्त न कर पाने के मुख्य कारण, बिलिंग एवं संग्रहण दक्षता में कमी, एटीएंडसी हानियों को कम करने के लिए लक्षित परिचालन गतिविधियों को पूरा न कर पाना यथा डीटी मीटरिंग और उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगाने के लक्ष्यों को पूरा न कर पाना, फीडर मीटरिंग तथा कृषि एवं गैर-कृषि उपभोक्ताओं के लिए मिश्रित फीडरों को पृथक्करण में विलम्ब, आदि थे।

इसी तरह, बढ़े हुए ब्याज भार, विद्युत क्रय लागत को कम करने में विफलता, टैरिफ याचिकाओं को दाखिल करने में विलम्ब, बकाया/सब्सिडी दावों की वसूली में विफलता आदि के कारण एसीएस एवं एआरआर के अंतर को समाप्त नहीं किया जा सका।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका 3.2 से देखा जा सकता है कि मार्च 2020 तक प्राप्त किये जाने वाले परिकल्पित एटीएंडसी हानियों में लक्षित कमी और एसीएस एवं एआरआर के अंतर को समाप्त करने के लक्ष्य, 2020-21 और 2021-22 में भी प्राप्त नहीं किये जा सके।

परिचालन गतिविधियों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा परिणाम

3.4 लेखापरीक्षा ने उदय योजना के दौरान और उदय के पश्चात् परिचालन गतिविधियों के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कमियाँ पायीं:

एटीएंडसी हानियों में कमी के लक्ष्यों की प्राप्ति में विफलता

3.4.1 एटीएंडसी हानि, वितरण कम्पनियों के कार्य निष्पादन का एक वास्तविक माप है क्योंकि इसमें तकनीकी हानियाँ¹ एवं वाणिज्यिक हानियाँ² दोनों सम्मिलित हैं। यह ऊर्जा, जिसके लिए भुगतान वसूला गया है, के संदर्भ में सिस्टम में इनपुट ऊर्जा की हानि को दर्शाता है। इस प्रकार, यह वितरण कम्पनियों की संयुक्त बिलिंग एवं संग्रहण दक्षता से

¹ तकनीकी हानियाँ वह होती हैं जो विद्युत नेटवर्क में निहित प्रतिरोध और खराब पॉवर फैक्टर के कारण ट्रांसफारमेशन हानियों और वितरण लाइनों पर उच्च हानियों के कारण होती हैं।

² वाणिज्यिक हानियाँ वे हानियाँ हैं जो (i) मीटर में विसंगति (ii) सीधे कटिया द्वारा चोरी और; (iii) संग्रहण अदक्षता के कारण होती हैं।

विपरीत रूप से सम्बन्धित है। एटीएंडसी हानियों की गणना हेतु ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पद्धति **परिशिष्ट-3.1** में दी गयी है।

उदय एमओयू के अनुसार, सभी वितरण कम्पनियों द्वारा वर्ष 2019-20 तक एटीएंडसी हानियों को घटाकर 14.86 प्रतिशत तक किया जाना था। हालाँकि, वितरण कम्पनियों की वास्तविक एटीएंडसी हानियाँ 2019-20 में 30.02 प्रतिशत रही, जो 2021-22 में घटने के बजाय और बढ़कर 31.19 प्रतिशत हो गयी। इस प्रकार, वितरण कम्पनियाँ, एटीएंडसी हानियों के उदय में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहीं और यह हानियाँ लक्ष्य से काफी अधिक रहीं। वर्ष 2015-16 से 2021-22³ के दौरान उदय के अन्तर्गत लक्ष्यों की तुलना में वितरण कम्पनियों की वास्तविक एटीएंडसी हानियों की स्थिति **परिशिष्ट-3.2** में विस्तृत है।

वितरण कम्पनियाँ उदय एमओयू के अन्तर्गत निर्धारित एटीएंडसी हानि में कमी के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकीं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कोई भी वितरण कम्पनी (केस्को के सिवाय) 2015-16 से 2019-20 के दौरान, उदय एमओयू के अन्तर्गत निहित एटीएंडसी हानियों के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी। 2019-20 में, केस्को भी लक्ष्य पूरा करने में विफल रही। अग्रेतर, कोई भी वितरण कम्पनी (वर्ष 2020-21 में केस्को के सिवाय) मार्च 2022 के अंत तक एटीएंडसी हानियों के उपर्युक्त लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी। अग्रेतर, यह देखा गया कि तीन वितरण कम्पनियों (एमवीवीएनएल, पीयूवीवीएनएल एवं डीवीवीएनएल) का प्रदर्शन पीवीवीएनएल एवं केस्को की तुलना में अधिक खराब था। यह, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषित किया गया, घरेलू ग्रामीण उपभोक्ताओं का प्रतिशत अधिक होने और उच्च वोल्टेज (एचवी) उपभोक्ताओं की संख्या कम होने के कारण था।

उदय एमओयू में निर्दिष्ट लक्ष्य तक एटीएंडसी हानियों को कम करने में वितरण कम्पनियों की विफलता के कारण 2015-16 से 2021-22 के दौरान ₹ 48,350.51 करोड़⁴ मूल्य की ऊर्जा की हानि हुई जैसा कि **परिशिष्ट-3.2** में वर्णित है। उच्च एटीएंडसी हानियों के प्रमुख कारणों की चर्चा आगामी **प्रस्तर 3.4.2** में की गयी है।

विभाग ने उत्तर में कहा कि विभिन्न कारकों जैसे कि सौभाग्य योजना के अन्तर्गत बड़ी संख्या में ग्रामीण उपभोक्ताओं के संख्या में बढ़ोत्तरी, रेलवे एवं अन्य उद्योगों का ओपन एक्सेस के अन्तर्गत प्रतिस्थापित होना, कृषि उपभोक्ताओं की आपूर्ति में वृद्धि, यूपीईआरसी द्वारा नियामक अधिभार को समाप्त करना आदि ने वितरण कम्पनियों द्वारा एटीएंडसी लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा पहुंचायी। अग्रेतर, यद्यपि वितरण कम्पनियाँ उदय योजना के अनुसार एटीएंडसी हानि लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकीं, किन्तु उदय योजना अवधि के दौरान एटीएंडसी हानि में 10 प्रतिशत की महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व कमी दर्ज करने में सफल रहीं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उदय योजना के अन्तर्गत राज्य के लिए एटीएंडसी हानि में कमी के लक्ष्य अन्य राज्यों को दिए गए लक्ष्यों के बराबर थे। अग्रेतर, वितरण कम्पनियों को एटीएंडसी हानि में कमी के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बिलिंग एवं संग्रहण दक्षता विशेष रूप से ग्रामीण और कृषि उपभोक्ताओं के मामले में, बढ़ाने के लिए उचित उपाय करने चाहिए थे।

³ लेखापरीक्षा ने वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए वितरण कम्पनियों की उपलब्धि की तुलना उदय एमओयू में निर्दिष्ट 2019-20 के 14.86 प्रतिशत लक्ष्य के सापेक्ष की है।

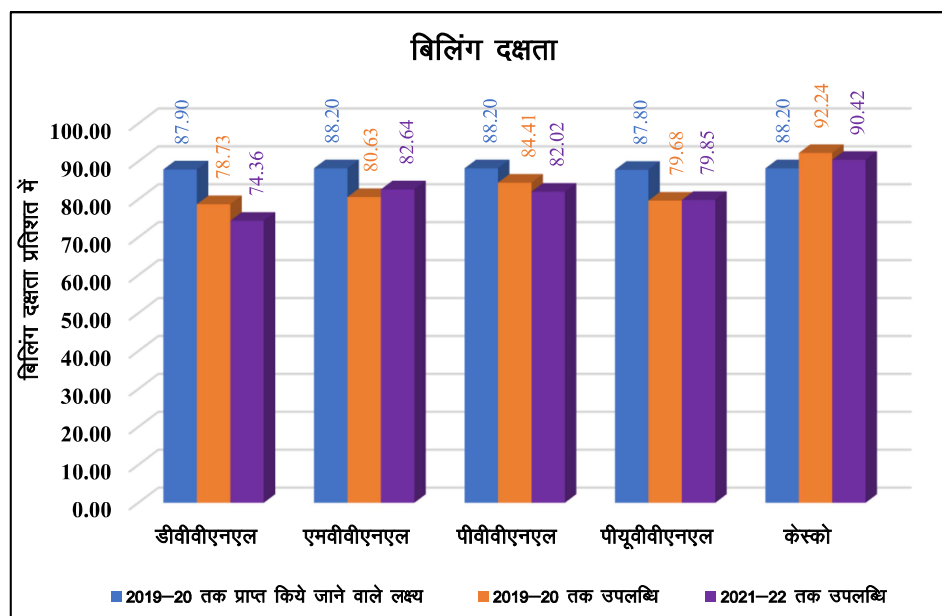
⁴ डीवीवीएनएल: ₹ 11,861.69 करोड़, एमवीवीएनएल: ₹ 14,600.84 करोड़, पीवीवीएनएल: ₹ 6,105.16 करोड़, पीयूवीवीएनएल: ₹ 15,732.43 करोड़ और केस्को: ₹ 50.39 करोड़ ऊर्जा हानि की गणना, वितरण कम्पनियों द्वारा प्रतिवेदित की गयी एटीएंडसी हानियों तथा आपूर्ति की औसत लागत पर की गयी है।

उच्च एटीएंडसी हानियों के कारण

3.4.2 लेखापरीक्षा ने देखा कि उच्च एटीएंडसी हानियों के कारण वितरण कम्पनियों की कम बिलिंग दक्षता⁵ एवं संग्रहण दक्षता⁶ थी।

उदय एमओयू के अनुसार, वितरण कम्पनियों को 2019–20 के अंत तक अपनी बिलिंग दक्षता को 88.04 प्रतिशत और संग्रहण दक्षता को 96.71 प्रतिशत तक बढ़ाना था। तथापि, वितरण कम्पनियाँ बिलिंग दक्षता (केस्को को छोड़कर) और संग्रहण दक्षता (पीवीवीएनएल को छोड़कर) के लक्ष्यों को 2019–20 की निर्धारित अवधि तक प्राप्त नहीं कर सकीं जिसे 2021–22 के अंत तक भी (बिलिंग दक्षता के मामले में केस्को को छोड़कर) प्राप्त नहीं किया जा सका। बिलिंग दक्षता एवं संग्रहण दक्षता के लक्ष्यों की तुलना में, वास्तविक उपलब्धियों का विवरण नीचे **चार्ट 3.1** और **3.2** में दिया गया है।

चार्ट 3.1: 2019–20 और 2021–22 तक बिलिंग दक्षता के लक्ष्य एवं उपलब्धि

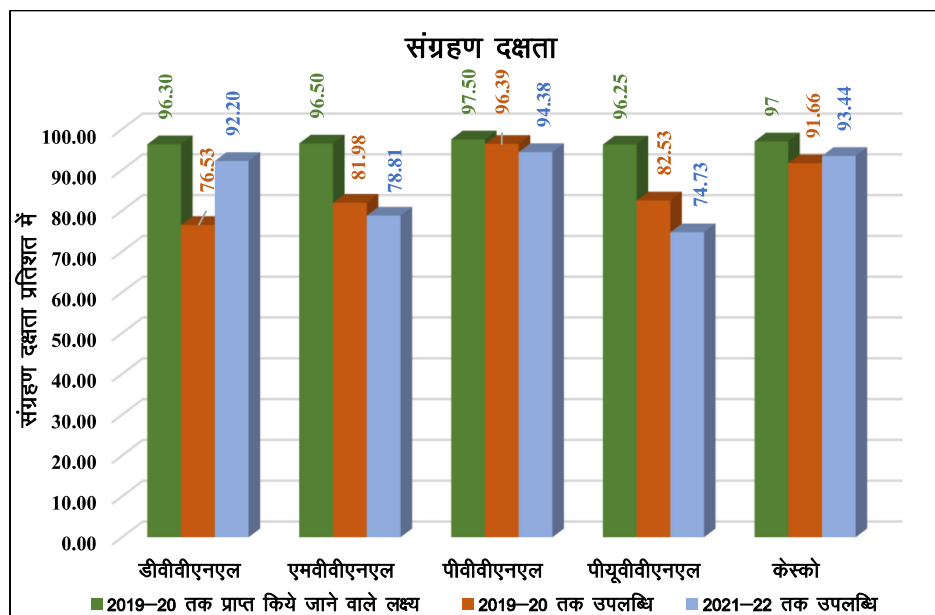


उपर्युक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि केस्को को छोड़कर अन्य वितरण कम्पनियाँ बिलिंग दक्षता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहीं। 2019–20 की निर्धारित अवधि के अंत तक यह कमी 3.79 प्रतिशत से 9.17 प्रतिशत के मध्य थी। इसके अलावा, केस्को को छोड़कर कोई भी वितरण कम्पनी, 2021–22 के अंत तक भी बिलिंग दक्षता के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी और यह कमी 5.56 प्रतिशत से 13.54 प्रतिशत के मध्य थी।

⁵ बिलिंग दक्षता, प्रवाहित/आपूर्ति की गयी विद्युत की कुल यूनिटों के विरुद्ध, उपभोक्ताओं को विक्रय/बिल की गयी यूनिटों का अनुपात है।

⁶ संग्रहण दक्षता, बिल किये गए कुल राजस्व के विरुद्ध प्राप्त राजस्व का अनुपात है।

चार्ट 3.2: 2019-20 और 2021-22 तक संग्रहण दक्षता का लक्ष्य एवं उपलब्धि



उपर्युक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है वितरण कम्पनियाँ संग्रहण दक्षता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहीं। 2019-20 की निर्धारित अवधि के अंत तक यह कमी 1.11 प्रतिशत से 19.77 प्रतिशत के मध्य थी। अग्रेतर, कोई भी वितरण कम्पनी 2021-22 के अंत तक भी संग्रहण दक्षता के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी और यह कमी 3.12 प्रतिशत से 21.52 प्रतिशत के मध्य थी।

जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा अवलोकित किया गया कि बिलिंग दक्षता एवं संग्रहण दक्षता के लक्ष्यों में कमी के मुख्य कारण, बिना मीटर वाले कनेक्शन पर मीटर लगाने में विफलता, दोषपूर्ण मीटरों की अत्यधिक संख्या एवं उच्च वितरण हानियाँ, उपभोक्ताओं से बकाया वसूली में अपर्याप्त प्रयास, अस्थायी रूप से विच्छेदित (टीडी) व स्थायी रूप से विच्छेदित (पीडी) उपभोक्ताओं से देयों की वसूली नहीं करना तथा चोरी के मामलों में वसूली हेतु निर्धारण की गयी धनराशि की वसूली नहीं करना था, जैसा कि प्रस्तर 3.4.3 और 3.4.4 में चर्चा की गयी है।

उत्तर में, विभाग ने कहा कि वितरण कम्पनियों की वितरण हानियाँ सामूहिक रूप से 2015-16 में 21.67 प्रतिशत से घटकर 2019-20 में 18.48 प्रतिशत हो गयी एवं संग्रहण दक्षता 2015-16 में 76.78 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 85.85 प्रतिशत हो गयी। पिछले प्रस्तर (प्रस्तर 3.4.1) के उत्तर में वितरण हानि एवं संग्रहण दक्षता के लक्ष्य प्राप्त न होने के विस्तृत कारण बताए गए हैं। अग्रेतर, 2022-23 में वितरण हानि घटकर 16.65 प्रतिशत हो गयी एवं संग्रहण दक्षता बढ़कर 93.57 प्रतिशत हो गयी, जिससे 2022-23 में कुल एटीएंडसी हानि कम हो कर 22.01 प्रतिशत हो गयी।

तथ्य यह है कि वितरण कम्पनियाँ, एमओयू में निर्धारित बिलिंग एवं संग्रहण दक्षता के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकीं।

वितरण कम्पनियों की बिलिंग दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक

3.4.3 लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषित, वितरण कम्पनियों की बिलिंग दक्षता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों की चर्चा नीचे की गयी है :

(अ) बिना मीटर वाले संयोजनों पर मीटर लगाने में विफलता

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) ने मार्च 2018 तक बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं की 100 प्रतिशत मीटरिंग के लिए, नवम्बर 2016 में निर्देश निर्गत किये थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वितरण कम्पनियाँ यूपीईआरसी के निर्देशों का पालन करने में विफल रहीं क्योंकि मार्च 2018 के अंत तक वितरण कम्पनियों में बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं की संख्या 54.03 लाख (कुल 196.45 लाख उपभोक्ताओं⁷ का 27.50 प्रतिशत) थी। अग्रेतर, वितरण कम्पनियाँ अक्टूबर 2022 तक भी निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर सकीं क्योंकि 12.34 लाख उपभोक्ता (कुल 319.16 लाख उपभोक्ताओं का 3.87 प्रतिशत) अभी भी बिना मीटर के थे। इसका विवरण नीचे तालिका 3.3 में दिया गया है।

तालिका 3.3: वितरण कम्पनियों के बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं की श्रेणीवार स्थिति
(उपभोक्ता लाख में)

वर्ष	बिना मीटर ⁸ वाले उपभोक्ताओं की श्रेणी							योग
	एलएमवी-1	एलएमवी-2	एलएमवी-3	एलएमवी-5	एलएमवी-8	एलएमवी-9	एलएमवी-10	
2015-16	59.24	1.03	0.06	9.06	0.30	0.00	0.91	70.60
2016-17	59.57	0.89	0.05	9.47	0.30	0.00	0.88	71.16
2017-18	50.87	0.80	0.00	1.02	0.07	0.32	0.95	54.03
2018-19	37.82	0.73	0.04	10.95	0.29	0.01	0.93	50.77
2019-20	25.60	0.48	0.02	11.93	0.30	0.00	0.98	39.31
2020-21	12.84	0.16	0.03	12.08	0.23	0.00	0.84	26.18
2021-22	9.02	0.19	0.05	11.77	0.19	0.00	0.83	22.05
2022-23 (अक्टूबर 2022 तक)	0.93	0.05	0.07	10.35	0.17	0.01	0.76	12.34

स्रोत: यूपीपीसीएल की वाणिज्यिक विवरणी (सीएस)-3

सभी बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं की मीटरिंग नहीं होने के कारण वितरण कम्पनियाँ, इन उपभोक्ताओं के ऊर्जा उपभोग को वास्तविक मीटर्ड उपभोग के आधार पर दर्ज नहीं कर सकीं जिससे वितरण कम्पनियों की बिलिंग दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

उत्तर में, विभाग ने कहा कि बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं की मीटरिंग के लिए किये गए प्रयासों के कारण, बिना मीटर वाले उपभोक्ता 2015-16 में 41.13 प्रतिशत से घटकर 2019-20 में 13.70 प्रतिशत हो गए और मई 2022 को और भी कम होकर 6.44 प्रतिशत हो गए। अग्रेतर, 2022-23 के अंत में बिना मीटर वाले उपभोक्ता घटकर 2.08 प्रतिशत हो गए हैं, जो मुख्यतः निजी नलकूप (पीटीडब्ल्यू) उपभोक्ता से सम्बन्धित हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वितरण कम्पनियाँ, मार्च 2018 तक 100 प्रतिशत मीटरिंग के यूपीईआरसी के निर्देशों का पालन नहीं कर सकीं तथा 2022-23 तक भी इसे प्राप्त नहीं किया जा सका।

(ब) दोषपूर्ण मीटरों की अधिक संख्या

विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 के क्लॉज 7.18 के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी, दोषपूर्ण मीटरों का प्रतिशत, लगे हुए मीटरों की कुल संख्या के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं रखेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2015-16 से 2022-23 (अक्टूबर 2022 तक) के दौरान वितरण कम्पनियों में दोषपूर्ण मीटरों का प्रतिशत (वर्ष 2018-19 और उसके बाद केस्को के सिवाय) निर्धारित मानदण्ड से अधिक था जैसा कि परिशिष्ट-3.3 में वर्णित है और नीचे तालिका 3.4 में संक्षेपित है।

⁷ एलएमवी-1 (घरेलू प्रकाश, पंखा एवं विद्युत), एलएमवी-2 (गैर-घरेलू प्रकाश, पंखा एवं विद्युत), एलएमवी-3 (सार्वजनिक लैम्प), एलएमवी-5 (निजी नलकूप/पम्पिंग सेट), एलएमवी-8 (राज्य नलकूप और पम्प नहरें), एलएमवी-9 (अस्थायी आपूर्ति) और एलएमवी-10 (विभागीय कर्मचारी) श्रेणियों के कुल उपभोक्ता। यहाँ, एलएमवी का मतलब निम्न एवं मध्यम वोल्टेज है।

⁸ एलएमवी-4 (सार्वजनिक और निजी संस्थान हेतु प्रकाश, पंखा एवं विद्युत), एलएमवी-6 (100 एचपी/75 कंडब्ल्यू तक के लघु एवं मध्यम विद्युत कनेक्शन) एवं एलएमवी-7 (सार्वजनिक जल कार्य) श्रेणी के उपभोक्ताओं के अन्तर्गत कोई भी बिना मीटर वाले संयोजन नहीं थे।

तालिका 3.4: वितरण कम्पनी-वार दोषपूर्ण मीटरों की स्थिति (प्रतिशत में)

वर्ष	दोषपूर्ण मीटर (प्रतिशत में)				
	डीवीवीएनएल	एमवीवीएनएल	पीवीवीएनएल	पीयूवीवीएनएल	केस्को
2015-16	7.30	9.35	6.53	10.92	8.17
2016-17	20.63	13.14	4.71	16.88	5.93
2017-18	30.90	24.82	8.23	25.61	3.41
2018-19	24.28	21.20	12.88	21.52	1.33
2019-20	15.72	13.62	9.56	20.58	1.39
2020-21	10.13	4.66	4.76	12.57	0.80
2021-22	7.02	3.94	5.90	12.41	0.90
2022-23 (अक्टूबर 2022 तक)	5.06	3.43	4.92	10.90	0.20

स्रोत: यूपीपीसीएल द्वारा दी गयी सूचना

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि यद्यपि वितरण कम्पनियों ने दोषपूर्ण मीटरों के प्रतिशत में कमी करने में सुधार दर्शाया है फिर भी यह तीन प्रतिशत के निर्धारित मानक से उपर था और यह 2015-16 से 2022-23 (अक्टूबर 2022 तक) के दौरान 3.41 से 30.90 प्रतिशत (वर्ष 2018-19 और उसके बाद केस्को के सिवाय) के मध्य रहा। इससे पता चलता है कि वितरण कम्पनियों ने दोषपूर्ण मीटरों की संख्या को कम करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किये। दोषपूर्ण मीटरों की अत्यधिक संख्या ने वितरण कम्पनियों की बिलिंग दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

विभाग ने उत्तर में कहा कि वितरण कम्पनियों ने दोषपूर्ण मीटरों को समय पर परिवर्तित करने के लिए अधिकतम प्रयास किया है। इसके परिणामस्वरूप, मार्च 2022 तक दोषपूर्ण मीटरों का प्रतिशत घटकर 7.10 प्रतिशत तक हो गया। मीटरों की समय पर आपूर्ति में कमी के कारण भी दोषपूर्ण मीटरों की संख्या अधिक है। अग्रेतर, वर्ष 2022-23 के अन्त तक तीन वितरण कम्पनियों यथा डीवीवीएनएल, पीवीवीएनएल एवं केस्को में, दोषपूर्ण मीटरों की संख्या घटकर तीन प्रतिशत से नीचे आ गयी हैं तथा शेष वितरण कम्पनियों में दोषपूर्ण मीटर के मामले लगातार कम हो रहे हैं।

तथ्य यह है कि 2015-16 से 2021-22 के दौरान दोषपूर्ण मीटरों के प्रतिशत को तीन प्रतिशत के मानक के भीतर प्राप्त नहीं किया जा सका तथा 2022-23 तक भी सभी वितरण कम्पनियों में इस मानक को प्राप्त नहीं किया जा सका।

(स) उच्च वितरण हानियाँ

लेखापरीक्षा ने पाया कि वितरण कम्पनियों की वितरण हानियाँ (वर्ष 2015-16 में डीवीवीएनएल, वर्ष 2015-16 से 2017-18 में पीवीवीएनएल एवं वर्ष 2015-16 से 2019-20 में केस्को के सिवाय) यूपीईआरसी द्वारा टू-अप याचिका में अनुमोदित हानियों की तुलना में काफी अधिक थीं। वर्ष 2015-16 से 2021-22 की अवधि में सम्बन्धित वास्तविक एवं अनुमोदित वितरण हानियों का विवरण नीचे तालिका 3.5 में दिया गया है।

तालिका 3.5: यूपीईआरसी द्वारा अस्वीकृत वितरण हानियाँ

(प्रतिशत में)

वर्ष/ वितरण कम्पनी	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22	
	वितरण हानि		वितरण हानि		वितरण हानि		वितरण हानि		वितरण हानि		वितरण हानि		वितरण हानि	
	वास्तविक	यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित	वास्तविक	यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित	वास्तविक	यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित	वास्तविक	यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित	वास्तविक	यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित	वास्तविक	यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित	वास्तविक	यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित
डीवीवीएनएल	24.45	24.45	24.43	23.82	25.09	20.07	21.95	16.25	22.16	12.10	25.90	11.80	25.64	11.33
एमवीवीएनएल	22.20	21.03	22.84	21.52	22.19	19.16	23.26	16.09	22.59	11.80	20.22	11.51	17.36	11.04
पीवीवीएनएल	18.65	18.65	18.57	18.57	17.43	17.43	17.64	14.83	18.11	11.80	17.85	11.51	17.98	11.04
पीयूवीवीएनएल	23.02	20.93	22.74	21.57	23.16	19.73	21.75	16.43	20.47	12.20	20.65	11.83	20.15	11.36
केस्को	18.34	18.34	16.26	16.26	13.00	13.00	8.51	8.51	7.76	7.76	10.45	8.42	9.61	8.25

स्रोत: यूपीईआरसी के टैरिफ आदेश/टू-अप आदेश

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि अधिक वितरण हानियों के कारण वितरण कम्पनियों की बिलिंग दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यूपीईआरसी (बहुवर्षीय वितरण टैरिफ) विनियम, 2014 के विनियम 18.1 के अनुसार नियंत्रणीय कारक होने के बावजूद वितरण कम्पनियाँ हानियों को कम करने में विफल रहीं।

विभाग ने उत्तर दिया कि उच्च वितरण हानियाँ, ग्रामीण उपभोक्ताओं, जो भौगोलिक रूप से अधिक विविध थे, में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति के घंटों में वृद्धि, एचटी उपभोक्ताओं का ओपन एक्सेस में प्रतिस्थापन आदि कारणों से हुई जिससे लाइन लॉस अधिक हुआ। अग्रेतर, टैरिफ विनियमों में पर्याप्त प्रावधान होने के बावजूद, यूपीईआरसी ने, टू-अप आदेश निर्गत करते समय, उच्च वितरण हानि के कारण हुये घाटे को साझा करने की अनुमति नहीं दी, जिसके विरुद्ध वितरण कम्पनियों द्वारा अपटेल में अपील दायर की गयी है। 2022-23 में वितरण हानियाँ कम होकर 16.65 प्रतिशत हो गयी हैं एवं वितरण हानियों को कम करने के लिए वितरण कम्पनियाँ लगातार कार्य कर रहीं हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यूपीईआरसी द्वारा निर्धारित कम्पनी-वार वितरण हानियों के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका, यद्यपि नियंत्रणीय कारक होने के कारण वितरण कम्पनियों द्वारा इसे कम किया जा सकता था।

वितरण कम्पनियों की संग्रहण दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक

3.4.4 वितरण कम्पनियों की संग्रहण दक्षता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषित किया गया है, की चर्चा नीचे की गयी है :

(अ) राजस्व बकाया की वसूली में विफलता

वितरण कम्पनियाँ अपने उपभोक्ताओं को बिल किये गए राजस्व की वसूली हेतु उत्तरदायी हैं। बिल किये गए राजस्व की वसूली न करने के कारण बकायों का संचय, वितरण कम्पनियों की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। वितरण कम्पनियों को राजस्व की वसूली के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। मार्च 2016 से मार्च 2022 के दौरान वितरण कम्पनियों के बकायों का विवरण नीचे तालिका 3.6 में दिया गया है।

तालिका 3.6: वितरण कम्पनियों के बकायों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	डीवीवीएनएल	एमवीवीएनएल	पीवीवीएनएल	पीयूवीवीएनएल	केस्को	सभी वितरण कम्पनियाँ
2015-16	8,813.39	7,531.71	4,888.88	12,584.29	2,025.00	35,843.27
2016-17	10,785.25	10,143.75	6,787.75	16,800.11	2,257.11	46,773.97
2017-18	12,590.11	13,011.72	8,329.38	20,360.28	2,517.89	56,790.23
2018-19	15,212.10	16,136.09	10,042.98	24,098.04	2,730.69	68,180.63
2019-20	18,289.80	18,647.02	10,819.89	27,225.55	2,948.72	77,930.98
2020-21	19,502.07	20,957.69	10,742.49	29,050.87	3,045.51	83,298.63
2021-22	18,599.05	22,485.80	11,587.49	31,146.60	3,376.24	87,195.18

स्रोत: वितरण कम्पनियों के वार्षिक वित्तीय लेखे

उपर्युक्त से देखा जा सकता है कि वितरण कम्पनियों का कुल बकाया 2015-16 में ₹ 35,843.27 करोड़ से 143 प्रतिशत बढ़कर 2021-22 में ₹ 87,195.18 करोड़ हो गया।

18 चयनित मण्डल कार्यालयों के अन्तर्गत 64 वितरण खण्डों⁹ के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि बकाया में लगातार वृद्धि के मुख्य कारण, विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने में विफलता और लाइव उपभोक्ताओं¹⁰, अस्थायी रूप से विच्छेदित एवं स्थायी रूप से विच्छेदित उपभोक्ताओं तथा

आपूर्ति संहिता के प्रावधानों के अनुसार वितरण कम्पनियों द्वारा कार्रवाई करने में विफलता और उपभोक्ताओं से देयों की वसूली के लिए अपर्याप्त प्रयासों के कारण ₹ 87,195.18 करोड़ का भारी बकाया संचित हो गया।

⁹ 36 शहरी खण्ड और 28 ग्रामीण खण्ड।

¹⁰ लाइव उपभोक्ता वे हैं जिनका संयोजन विच्छेदित नहीं किया गया है।

चोरी के मामलों में बकाया की वसूली के लिए, अपर्याप्त प्रयास थे। इन पर अगले प्रस्तरों में चर्चा की गयी है।

(i) उपभोक्ताओं से बकाया की वसूली में अपर्याप्त प्रयास

विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 के क्लॉज 4.36 के अनुसार उपभोक्ता को दिए गए नोटिस में इंगित विच्छेदन तिथि, जो 15 दिन से कम नहीं होगी, के अंदर यदि विद्युत बिलों का भुगतान नहीं किया जाता है तो आपूर्ति अस्थायी रूप से विच्छेदित कर दी जाएगी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित 64 खण्डों के अक्टूबर 2022 के बिलिंग डाटा के अनुसार, 17.10 लाइव उपभोक्ताओं के विरुद्ध ₹ 4,474.28 करोड़ की धनराशि का विद्युत प्रभार तीन माह¹¹ से अधिक समय से बकाया था। खण्ड कार्यालय, विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 के क्लॉज 4.36 के अनुसार उनसे देय धनराशि की वसूली हेतु आवश्यक कदम उठाने अथवा उनके संयोजन को विच्छेदित करने में विफल रहे। खण्ड कार्यालयों की ओर से निष्क्रियता ने वितरण कम्पनियों की संग्रहण दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

उत्तर में विभाग ने कहा कि वितरण कम्पनियों ने उपभोक्ताओं से बकाया धनराशि की वसूली के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है जैसे कि कमीशन के आधार पर एजेंसियों की नियुक्ति, मीटर रीडरों को प्री-पेड वॉलेट सिस्टम द्वारा राजस्व एकत्र करने की अनुमति देना, वन टाइम सेटलमेंट, आसान किस्त योजना जैसी विभिन्न योजनाएं प्रारम्भ करना आदि। तमाम प्रयासों से संग्रहण दक्षता वर्ष 2015–16 में 76.78 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2019–20 में 85.85 प्रतिशत हो गयी। अग्रेतर, 2022–23 में संग्रहण दक्षता बढ़कर 93.57 प्रतिशत हो गयी तथा संग्रहण दक्षता में और सुधार करने के लिए सभी स्तरों पर नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 के प्रावधानों के अनुसार खण्ड कार्यालयों ने चूककर्ता उपभोक्ताओं का त्वरित विच्छेदन नहीं किया जिसके कारण वर्ष दर वर्ष बकाया में निरंतर वृद्धि होती गयी।

(ii) अस्थायी विच्छेदन के मामलों के सापेक्ष देय धनराशि की वसूली में विफलता

विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 का क्लॉज 4.38 (बी) प्रावधानित करता है कि जिस कारण से आपूर्ति अस्थायी रूप से विच्छेदित की गयी थी, यदि, उसका निदान, 6 माह की अवधि के अंदर नहीं किया जाता है तो आपूर्ति स्थायी रूप से विच्छेदित कर दी जाएगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अक्टूबर 2022 तक 1.94 लाख उपभोक्ताओं के कनेक्शन अस्थायी रूप से विच्छेदित किये गए थे जिनके विरुद्ध ₹ 578.21 करोड़ वसूली के लिए लंबित थे। अस्थायी विच्छेदन की तिथि से 6 माह व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी खण्ड कार्यालय ना तो बकाया धनराशि की वसूली कर पाये और न ही विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 के उपरोक्त प्रावधान के अनुसार स्थायी रूप से संयोजन विच्छेदित कर पाये। इससे वितरण कम्पनियों की संग्रहण दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

उत्तर में, विभाग ने कहा कि अस्थायी विच्छेदित मामलों की देयता की वसूली के लिए सर्वोत्तम प्रयास किये जा रहे हैं एवं मासिक अनुश्रवण किया जा रहा है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, निर्धारित समय के भीतर इन संयोजनों को, खण्ड कार्यालयों द्वारा स्थायी रूप से विच्छेदित नहीं किया गया।

¹¹ बकाया स्थिति का विश्लेषण करने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा तीन माह का तर्कसंगत समय लिया गया है, जो भुगतान की देय तिथि से पहले बिलों के प्रेषण के लिए 15 दिन, बिलों का भुगतान नहीं होने की स्थिति में विच्छेदन करने के लिए न्यूनतम 15 दिनों का समय तथा उपभोक्ताओं से 45 दिनों की बिल धनराशि के बराबर ली गयी प्रतिभूति धनराशि को मानते हुए लिया गया है।

(iii) स्थायी रूप से विच्छेदित उपभोक्ताओं से देयता की वसूली में विफलता

लेखापरीक्षा ने पाया कि अक्टूबर 2022 तक 2.05 लाख उपभोक्ताओं को स्थायी रूप से विच्छेदित किया गया था, जिनके विरुद्ध ₹ 2,716.09 करोड़ वसूली के लिए लंबित थे। खण्ड कार्यालय इन उपभोक्ताओं से बकाया वसूलने में विफल रहे, जिससे वितरण कम्पनियों की संग्रहण दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

उत्तर में, विभाग ने कहा कि स्थायी रूप से विच्छेदित किये गए मामलों में देय धनराशि की वसूली के लिए उचित कार्रवाई की जा रही है। जहां राजस्व की वसूली नहीं हो सकी, वहाँ चूककर्ता उपभोक्ताओं के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं।

तथ्य यह है कि स्थायी रूप से विच्छेदित उपभोक्ताओं के विरुद्ध देय वसूली के लिए लम्बित थे।

(iv) चोरी/अनियमितता के मामलों में निर्धारित धनराशि की वसूली में विफलता

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2017-18¹² से 2022-23 (अक्टूबर 2022 तक) के दौरान खण्ड कार्यालयों द्वारा ₹ 573.13 करोड़ मूल्य के विद्युत चोरी एवं अनाधिकृत उपयोग के 1,03,461 मामलों का निर्धारण किया गया था जिनके विरुद्ध, 36,947 मामलों में केवल ₹ 114.76 करोड़ (20.02 प्रतिशत) की वसूली की गयी। खण्ड कार्यालयों ने आपूर्ति संहिता, 2005 के क्लॉज 8.1 एवं 8.2 के उल्लंघन में विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन, मीटर और सर्विस लाइन हटाने जैसी उचित कार्रवाई नहीं की और उन उपभोक्ताओं के विरुद्ध नामित विशेष अदालत में मामला भी दर्ज नहीं कराया जिन्होंने निर्धारित धनराशि जमा नहीं करायी। परिणामस्वरूप, अक्टूबर 2022 तक 66,514 चोरी के मामलों में ₹ 458.37 करोड़ की वसूली नहीं हो पायी। इससे वितरण कम्पनियों की संग्रहण दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

उत्तर में विभाग ने कहा कि निर्धारित चोरी के मामलों में राजस्व वसूली के लिए उचित कार्रवाई की गयी है। की गयी छापेमारी, निर्धारित राजस्व और ऐसे राजस्व की वसूली के त्वरित एवं प्रभावी अनुश्रवण के लिए समर्पित आरएआईडी (रेड) पोर्टल चालू किया गया है। जहाँ भी वितरण कम्पनियों द्वारा राजस्व की वसूली नहीं की जा सकी, वहाँ वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किए गए हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षित खण्डों में चोरी के मामलों के विरुद्ध वसूली मात्र 20.02 प्रतिशत ही थी।

(ब) विभागीय उपभोक्ताओं से टैरिफ दर की बजाए निश्चित दर की वसूली

यूपीईआरसी टैरिफ आदेश दिनांक 18 जून 2015 में प्रावधान किया गया है कि बिना मीटर वाले विभागीय उपभोक्ताओं (एलएमवी-10 श्रेणी) को 31 दिसम्बर 2015 तक मीटर युक्त उपभोक्ताओं में परिवर्तित कर दिया जाएगा और तब तक टैरिफ आदेश में प्रदान की गयी निश्चित दरों पर बिल किया जाएगा। 01 जनवरी 2016 से, इन एलएमवी-10 श्रेणी के उपभोक्ताओं से एलएमवी-1 श्रेणी (घरेलू) उपभोक्ताओं के लिए लागू दरों के अनुसार प्रभार लिया जाना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वितरण कम्पनियों ने, 2017-18 तक, दिनांक 18 जून 2015 के टैरिफ आदेश में अधिसूचित निश्चित दरों और उसके बाद यूपीपीसीएल द्वारा निश्चित¹³ दरों के अनुसार, विभागीय उपभोक्ताओं (एलएमवी-10 श्रेणी) से विद्युत प्रभार वसूल किया। यह टैरिफ आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन था जिसके अनुसार, जनवरी 2016 से, एलएमवी-10 श्रेणी के उपभोक्ताओं से एलएमवी-1 श्रेणी (घरेलू) उपभोक्ताओं हेतु प्रभारित दरों के अनुसार, प्रभार लिया जाना अपेक्षित था। टैरिफ आदेशों का अनुपालन न करने

¹² 2017-18 से गणना की गयी क्योंकि रेड पोर्टल पर डाटा 2017-18 से उपलब्ध था।

¹³ दिनांक 07 फरवरी 2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 58-मुख्य अभियंता/वा-1/एलएमवी-10/(2017-18) द्वारा।

के कारण यूपीपीसीएल 2016-17 से 2020-21 के दौरान ₹ 1,761.55 करोड़ के राजस्व अंतर की वसूली नहीं कर सका।

यहाँ यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि यूपीईआरसी द्वारा वर्ष 2016-17 से 2020-21 के लिए पारित टू-अप आदेश में, आयोग ने उपर्युक्त के राजस्व अंतर (टैरिफ के अनुसार वसूल किये जाने वाले राजस्व और वास्तविक रूप से विभागीय उपभोक्ताओं से वसूल किये गए राजस्व में अंतर) को वितरण कम्पनियों की डीमड आय माना।

उत्तर में, विभाग ने कहा कि विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों/पेंशनभोगियों से निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित प्रभार की वसूली की जा रही है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्वीकृत टैरिफ के अनुसार विभागीय उपभोक्ताओं की बिलिंग नहीं की जा रही है।

संस्तुति 3:

वितरण कम्पनियों को एटीएंडसी हानियों में लक्षित कमी की प्राप्ति और बिलिंग एवं संग्रहण दक्षता में समग्र सुधार को सुनिश्चित करना चाहिए। अग्रेतर, वितरण कम्पनियों को बिना मीटर वाले संयोजनों जिसमें विभागीय उपभोक्ता भी सम्मिलित हैं, की मीटरिंग समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करनी चाहिए, दोषपूर्ण मीटरों के प्रतिशत में अनुमन्य सीमा तक कमी करनी चाहिए और उपभोक्ताओं से बकायों की समयबद्ध वसूली के लिए प्रयास करना चाहिए।

एसीएस-एआरआर अंतर को समाप्त करने में विफलता

3.4.5 उदय एमओयू के क्लॉज 1.3 (ई) के अनुसार, वितरण कम्पनियों द्वारा वर्ष 2019-20 तक एसीएस-एआरआर के मध्य अंतर को समाप्त करना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वितरण कम्पनियाँ एसीएस एवं एआरआर के मध्य अंतर को समाप्त नहीं कर सकीं जैसा कि नीचे **तालिका 3.7** में वर्णित है।

तालिका 3.7: वितरण कम्पनियों के एसीएस-एआरआर अंतर के लक्ष्य एवं उपलब्धि

वितरण कम्पनी	एसीएस-एआरआर अंतर (₹ प्रति यूनिट में)			
	2019-20 तक लक्ष्य	2019-20 तक उपलब्धि	2020-21 तक उपलब्धि	2021-22 तक उपलब्धि
डीवीवीएनएल	0.06	-0.25	-0.87	-1.15
एमवीवीएनएल	0.06	-0.29	-0.39	-0.84
पीवीवीएनएल	0.06	-0.31	-1.12	-0.20
पीयूवीवीएनएल	0.06	-0.46	-1.32	-0.20
केस्को	0.06	-0.65	-0.50	-0.58
सभी वितरण कम्पनियाँ	0.06	-0.34	-0.94	-0.56

स्रोत: यूपीपीसीएल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि कोई भी वितरण कम्पनी 2021-22 तक एसीएस-एआरआर अंतर को समाप्त नहीं कर सकी। लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाने के कारण आपूर्ति की लागत को राजस्व वसूली से समायोजित नहीं किया जा सका। लक्ष्यों को प्राप्त न करने के मुख्य कारण, विद्युत क्रय लागत को कम करने में विफलता, यूपीईआरसी द्वारा मानदण्डों से अधिक किये गये व्यय की अस्वीकृति और राजस्व वसूली में भी सुधार करने में विफलता है जिनकी चर्चा अनुवर्ती **प्रस्तारों 3.4.6** एवं **3.4.7** में की गयी है। अग्रेतर, बिलिंग और बकाया राशि की वसूली में खामियों के कारण, राजस्व वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप वितरण कम्पनियों के पास धन की कमी हो गयी और फलस्वरूप विद्युत उत्पादकों के बिलों के भुगतान में विलम्ब हुआ, जिससे विलम्बित भुगतान अधिभार का भुगतान करना पड़ा। इससे विद्युत की औसत लागत में और वृद्धि हुई जिससे एसीएस-एआरआर अंतर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

उ.प्र. की किसी भी वितरण कम्पनी द्वारा वर्ष 2019-20 तक लक्षित एसीएस-एआरआर अंतर को वर्ष 2021-22 तक भी समाप्त नहीं किया जा सका।

उत्तर में विभाग ने कहा कि प्रमुख उद्योगों के ओपन एक्सेस में प्रतिस्थापित होने, ग्रामीण उपभोक्ता आधार में वृद्धि, कृषि उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति में वृद्धि, यूपीईआरसी द्वारा नियामक अधिभार को समाप्त करना, यूपीईआरसी द्वारा विभिन्न अस्वीकृतियाँ आदि के कारण आय वृद्धि में बाधाओं के बावजूद, वितरण कम्पनियों का प्रति यूनिट ऊर्जा इनपुट के सापेक्ष राजस्व आकलन, 2015-16 में ₹ 4.09/केडब्ल्यूएच से बढ़कर 2019-20 में ₹ 4.82/केडब्ल्यूएच हो गया। कोयले की कीमतों, रेलवे परिवहन प्रभारों, करों एवं शुल्कों आदि में वृद्धि के कारण विद्युत क्रय लागत को अनुकूलित नहीं किया जा सका। अग्रेतर, ग्रामीण उपभोक्ताओं से अपर्याप्त राजस्व संग्रह ने वितरण कम्पनियों को कार्यशील पूंजी ऋण लेने के लिए विवश किया, जिससे ब्याज का भार बढ़ा। यह भी कहा गया कि उच्च एसीएस-एआरआर अंतर का एक प्रमुख कारण, विभिन्न अनियंत्रणीय कारणों की वजह से विद्युत क्रय लागत में वृद्धि है और लागत में वृद्धि की भरपाई के लिए पिछले चार वर्षों से उपभोक्ता टैरिफ में कोई वृद्धि न होना भी एक कारण है।

तथ्य यह है कि वितरण कम्पनियाँ विभिन्न नियंत्रणीय कारकों के बावजूद आपूर्ति की औसत लागत को कम करने और औसत वसूली योग्य राजस्व में वृद्धि करने में विफल रहीं जिससे एमओयू में परिकल्पित एसीएस-एआरआर अंतर को समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका जिसकी चर्चा अनुवर्ती प्रस्तारों में की गयी है।

आपूर्ति की औसत लागत को प्रभावित करने वाले कारक

3.4.6 लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषित मुख्य कारक जो आपूर्ति की औसत लागत को प्रभावित करते हैं, की चर्चा नीचे की गयी है :

(अ) औसत विद्युत क्रय लागत को कम करने में विफलता

यूपीपीसीएल राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनियों/अन्य विद्युत उत्पादकों से विद्युत क्रय करता है और इसे वितरण कम्पनियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार विक्रय करता है। लेखापरीक्षा ने देखा कि ऐसे कई मामले थे जहां यूपीपीसीएल/वितरण कम्पनियों के स्तर पर विफलताओं/कमियों के कारण विद्युत क्रय लागत को कम नहीं किया जा सका जैसा कि नीचे चर्चा की गयी है। इसने विद्युत आपूर्ति की औसत लागत पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

(i) विद्युत उत्पादकों को किये गए विलंबित भुगतान अधिभार के भुगतान की यूपीईआरसी द्वारा स्वीकृति न देना

लेखापरीक्षा ने देखा कि बिलों के विलंबित भुगतान के कारण यूपीपीसीएल ने उत्पादकों के मासिक विद्युत क्रय बिलों पर विलंबित भुगतान अधिभार (एलपीएस) का भुगतान किया था। 2018-19¹⁴ से 2020-21 के दौरान अधिभार के भुगतान का विवरण तालिका 3.8 में नीचे दिया गया है।

तालिका 3.8: यूपीईआरसी द्वारा अस्वीकृत किया गया उत्पादकों को प्रदत्त विलंबित भुगतान अधिभार

वित्तीय वर्ष	यूपीईआरसी द्वारा अस्वीकृत किया गया विद्युत उत्पादकों को प्रदत्त विलंबित भुगतान अधिभार (₹ करोड़ में)
2018-19	1,133.67
2019-20	1,447.06
2020-21	3,384.40
योग	5,965.13

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के यूपीईआरसी के टैरिफ आदेश/टू-अप आदेश

लेखापरीक्षा ने पाया कि यूपीपीसीएल, उत्पादकों के बिलों का नियत समय में भुगतान नहीं कर सका जिसके कारण उसे विलंबित भुगतान अधिभार वहन करना पड़ा। यूपीईआरसी ने वर्ष 2018-19 से 2020-21 में, टैरिफ को टू-अप करते समय, विद्युत क्रय लागत से एलपीएस को अस्वीकृत कर दिया। उत्पादकों को एलपीएस भुगतान की

¹⁴ वर्ष 2015-16 से 2017-18 के टू-अप आदेशों में एलपीएस की अस्वीकृति नहीं की गयी थी।

अस्वीकृति का प्रभाव यह था कि यह अधिभार उपभोक्ताओं से टैरिफ के माध्यम से वसूल नहीं किया जा सका। इसने विद्युत आपूर्ति की औसत लागत पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। उत्तर में, विभाग ने स्वीकार किया कि खराब राजस्व वसूली के कारण वितरण कम्पनियाँ समय पर उत्पादकों के बिलों का भुगतान करने में सक्षम नहीं थीं इसलिए एलपीएस का भुगतान करना पड़ा।

(ii) अन्य राज्यों से विद्युत क्रय की अस्वीकृति

लेखापरीक्षा ने देखा कि कुछ सीमावर्ती जिलों के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित अपने लाइसेंस क्षेत्रों को विद्युत की आपूर्ति के लिए वितरण कम्पनियों ने अन्य राज्यों की वितरण कम्पनियों से अतिरिक्त विद्युत क्रय किया जैसा कि नीचे तालिका 3.9 में दिया गया है।

तालिका 3.9: अनुमोदित स्रोतों से विद्युत का क्रय

वर्ष	वितरण कम्पनी	ऊर्जा का स्रोत	धनराशि (₹ करोड़ में)
2018-19	पीवीवीएनएल	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएनएल)	0.30
2018-19	पीयूवीवीएनएल	साऊथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एसबीपीडीसीएल)	6.19
2019-20	पीवीवीएनएल	यूएचबीवीएनएल	0.37
2019-20	पीयूवीवीएनएल	एसबीपीडीसीएल	8.57
2020-21	पीवीवीएनएल	यूएचबीवीएनएल	0.40
2020-21	पीयूवीवीएनएल	उत्पादकों से प्रत्यक्ष क्रय	6.47
2021-22	पीवीवीएनएल	यूएचबीवीएनएल	0.44
2021-22	पीयूवीवीएनएल	उत्पादकों से प्रत्यक्ष क्रय	7.95
योग			30.69

स्रोत: यूपीईआरसी के टैरिफ आदेश/ट्रू-अप आदेश

लेखापरीक्षा ने देखा कि अन्य राज्यों की वितरण कम्पनियों से विद्युत के क्रय को यूपीईआरसी द्वारा 2018-19 से 2021-22 तक की ट्रू-अप याचिकाओं में इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया था कि विद्युत क्रय यूपीईआरसी के पूर्व-अनुमोदन के बिना की गयी थी। चूँकि वितरण कम्पनियाँ अतिरिक्त विद्युत के क्रय हेतु यूपीईआरसी से पूर्व अनुमोदन लेने में विफल रहीं इसलिए विद्युत की ऐसी खरीद का व्यय वितरण कम्पनियों को वहन करना पड़ा। इसने विद्युत आपूर्ति की औसत लागत पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

उत्तर में, विभाग ने कहा कि अन्य राज्यों के साथ हस्ताक्षरित समझौते को मानते हुए वितरण कम्पनियों द्वारा इस प्रकार का व्यय लम्बे समय से किया जा रहा है। ट्रू-अप याचिकाओं में ऐसी विद्युत क्रय लागत स्वीकृत कराने के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, यूपीईआरसी द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वितरण कम्पनियाँ अन्य राज्यों से अतिरिक्त विद्युत क्रय के लिए यूपीईआरसी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने में विफल रहीं जिसके परिणामस्वरूप यूपीईआरसी ने इन व्ययों को अस्वीकृत कर दिया।

(ब) यूपीईआरसी द्वारा मानदण्डों से किये गये अधिक व्यय को अस्वीकृत किया जाना

यूपीईआरसी (बहुवर्षीय वितरण टैरिफ) विनियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, वितरण कम्पनियों द्वारा किये गए व्ययों की निर्दिष्ट मानदण्डों के आधार पर स्वीकृति दी जाती है। निर्धारित मानदण्डों के अधिक किसी भी व्यय को यूपीईआरसी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वितरण कम्पनियाँ अपनी लागत को यूपीईआरसी के मानदण्डों के अंदर रखने में विफल रहीं। यूपीईआरसी ने वर्ष 2015-16 से 2020-21 की टैरिफ याचिकाओं का ट्रू-अप करते हुए कर्मचारी लागत, प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय, मरम्मत

एवं रखरखाव व्यय, यूपीपीसीएल के परिचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) व्यय तथा मूल्यह्रास जैसे प्रमुख व्ययों के एक अंश को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि व्यय निर्धारित मानदण्डों के अनुसार नहीं था। वितरण कम्पनियों द्वारा किये गए दावे और उनके विरुद्ध यूपीईआरसी द्वारा किये गए अनुमोदन का विवरण नीचे तालिका 3.10 में दिया गया है।

तालिका 3.10: यूपीईआरसी द्वारा अस्वीकृत व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विवरण	कर्मचारी लागत	प्रशासनिक और सामान्य व्यय	मरम्मत एवं रखरखाव व्यय	यूपीपीसीएल ओएंडएम व्यय	मूल्यह्रास	कुल अस्वीकृत व्यय
2015-16	दावाकृत	2,265.74	300.04	870.35	255.55	1,921.64	
	अनुमत	2,019.63	354.84	1,036.10	0	1,892.16	
	अंतर	246.11	-54.80	-165.75	255.55	29.48	310.59
2016-17	दावाकृत	2,347.76	321.97	913.66	202.13	2,074.59	
	अनुमत	2,354.61	320.29	907.94	0	1,962.30	
	अंतर	-6.85	1.68	5.72	202.13	112.29	314.97
2017-18	दावाकृत	3,808.54	695.65	2,190.66	238.04	1,405.00	
	अनुमत	2,162.40	548.20	1,883.84	0	1,209.34	
	अंतर	1,646.14	147.45	306.82	238.04	195.66	2,534.11
2018-19	दावाकृत	2,447.54	1,887.66	2,232.34	290.69	1,299.03	
	अनुमत	2,447.54	739.45	2,175.73	0	1,114.54	
	अंतर	0	1,148.21	56.61	290.69	184.49	1,680.00
2019-20	दावाकृत	2,869.41	2,275.53	2,483.69	121.07	1,097.16	
	अनुमत	2,794.92	736.70	2,458.53	0	1,355.00	
	अंतर	74.49	1,538.83	25.16	121.07	-257.84	1,501.71
2020-21	दावाकृत	3,839.72	804.68	2,531.50	-	2,856.41	
	अनुमत	2,587.75	692.73	1,912.15	-	1,165.19	
	अंतर	1,251.97	111.95	619.35	-	1,691.22	3,674.49
2021-22	दावाकृत	4,096.93	824.13	2,592.67	-	1,650.86	
	अनुमत	3,124.28	782.76	2,177.66	-	1,577.16	
	अंतर	972.65	41.37	415.01	-	73.70	1,502.73
कुल अंतर		4,184.51	2,934.69	1,262.92	1,107.48	2,029.00	11,518.60

स्रोत: यूपीईआरसी का टैरिफ आदेश/द्वै-अप आदेश

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि यूपीईआरसी द्वारा व्ययों के महत्वपूर्ण भाग को निम्नांकित कारणों से अस्वीकृत कर दिया गया :

- कर्मचारी लागत, प्रशासनिक और मरम्मत एवं रखरखाव व्यय, नियंत्रणीय कारक थे, इसलिए इन्हें वितरण कम्पनियों द्वारा मानदण्डों के अंदर बनाए रखा जा सकता था।
- यूपीपीसीएल के ओएंडएम व्ययों की अनुमति नहीं दी गयी क्योंकि, विद्युत का क्रय, वितरण कम्पनियों का उत्तरदायित्व था, जिसके लिए आयोग ने वितरण कम्पनियों को पर्याप्त ओएंडएम व्ययों की अनुमति दी थी।
- यूपीईआरसी (बहुवर्षीय वितरण टैरिफ) विनियम, 2019 में निर्धारित सकल अचल परिसम्पत्ति आधार का गलत आकलन और मूल्यह्रास की गणना की पद्धति में बदलाव के कारण मूल्यह्रास को अस्वीकार कर दिया गया।

परिणामस्वरूप, अस्वीकृत व्यय को वितरण कम्पनियों द्वारा वहन करना पड़ा जिससे विद्युत आपूर्ति की औसत लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुयी।

यूपीपीसीएल ने उत्तर में कहा कि टैरिफ विनियमों के अनुसार, मानदण्डों से अधिक व्यय, यूपीईआरसी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया और इसे वितरण कम्पनियों वहन किया गया है। अग्रेतर, यूपीपीसीएल ने इस सम्बन्ध में माननीय अपटेल में अपील दायर की है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वितरण कम्पनियाँ व्ययों को टैरिफ विनियमों में निर्दिष्ट स्वीकार्य सीमा के अन्तर्गत रखने में विफल रहीं। इसके अतिरिक्त, अपटेल ने पहले भी वितरण कम्पनियों की इस प्रकार की अपील¹⁵ को खारिज कर दिया था।

संस्तुति 4:

वितरण कम्पनियों को अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु एसीएस-एआरआर अंतर को समाप्त करने के लिए समयबद्ध रूपरेखा तैयार करनी चाहिए।

औसत राजस्व प्राप्ति को प्रभावित करने वाले कारक

3.4.7 लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषित औसत राजस्व प्राप्ति को प्रभावित करने में, बिना मीटर वाले कनेक्शनों पर मीटर लगाने में विफलता, दोषपूर्ण मीटरों की अत्यधिक संख्या, विभागीय उपभोक्ताओं से टैरिफ दर के बजाय निश्चित दर की वसूली तथा समय पर टैरिफ याचिकाएं दाखिल करने में विफलता और टैरिफ का पुनर्निर्धारण न करना, मुख्य कारक थे जिन पर प्रस्तर 3.4.3 (अ), (ब), 3.4.4 (ब) और 3.4.8 में चर्चा की गयी है।

टैरिफ याचिकाओं को समय पर दाखिल करने में विफलता

3.4.8 उदय एमओयू के क्लॉज 1.3 (के) (ii) में प्रावधान है कि वितरण कम्पनियाँ यूपीईआरसी के समक्ष समग्र राजस्व आवश्यकता¹⁶/टैरिफ याचिका को समय पर दाखिल करेंगी ताकि उस वर्ष के लिए टैरिफ आदेश शीघ्रातिशीघ्र निर्गत किया जा सके। समय-समय पर प्रभावी वितरण टैरिफ विनियमों¹⁷ में आगामी वर्षों के टैरिफ को अंतिम रूप देने के लिए एआरआर/टैरिफ याचिका¹⁸ दाखिल करने की समय-सीमा उल्लिखित की गयी है और सभी वितरण कम्पनियों द्वारा इसका अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। अग्रेतर, विनियम यह भी प्रावधानित करता है कि आयोग, एआरआर/टैरिफ निर्धारण के लिए पूर्ण आवेदन की प्राप्ति से 120 दिनों की अवधि के अंदर और जनता से प्राप्त सभी सुझावों एवं आपत्तियों पर विचार करने के बाद, ऐसे संशोधनों या ऐसी शर्तों के साथ आवेदन को स्वीकार करते हुए टैरिफ आदेश निर्गत करेगा जैसा कि उस आदेश में निर्दिष्ट हो।

लागू टैरिफ विनियमों के अनुसार दाखिल किये जाने हेतु निर्धारित समय-सीमा की तुलना में वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत की गयी टैरिफ याचिकाओं का विवरण नीचे तालिका 3.11 में दिया गया है।

तालिका 3.11 टैरिफ याचिकाओं को दाखिल करने में विलम्ब

वितरण कम्पनी / वर्ष	विनियमों के अनुसार लक्ष्य तिथि	दाखिल करने की तिथि					टैरिफ याचिका दाखिल करने में विलम्ब
		डीवीवीएनएल	एमवीवीएनएल	पीवीवीएनएल	पीयूवीवीएनएल	केस्को	
2016-17	30-11-15	07-12-15	07-12-15	07-12-15	07-12-15	30-11-15	7 दिन ¹⁹
2017-18	01-11-16	21-06-17	21-06-17	21-06-17	21-06-17	30-11-16	232 दिन ²⁰

¹⁵ 2014 की अपील संख्या 128 में अपटेल का दिनांक 23 नवम्बर 2015 का आदेश।

¹⁶ समग्र राजस्व आवश्यकता का अर्थ है, लाइसेंसीकृत व्यवसाय से सम्बन्धित लागतें, जो इन विनियमों के अनुसार, यूपीईआरसी द्वारा निर्धारित टैरिफ से वसूल किये जाने के लिए अनुमत हैं।

¹⁷ अप्रैल 2020 से प्रभावी यूपीईआरसी (वितरण और पारेषण के लिए बहुवर्षीय टैरिफ) विनियम, 2019, अप्रैल 2015 से प्रभावी यूपीईआरसी (बहुवर्षीय वितरण टैरिफ) विनियम, 2014।

¹⁸ वितरण अनुज्ञप्तिधारी, प्रत्येक वर्ष 1 नवम्बर/30 नवम्बर या उससे पूर्व, सभी प्रकार से पूर्ण एआरआर/टैरिफ याचिकाएं दाखिल करेगा।

¹⁹ केस्को के सिवाय।

²⁰ केस्को के सिवाय, जहाँ विलम्ब 29 दिनो का था।

वितरण कम्पनी / वर्ष	विनियमों के अनुसार लक्ष्य तिथि	दाखिल करने की तिथि					टैरिफ याचिका दाखिल करने में विलम्ब
		डीवीवीएनएल	एमवीवीएनएल	पीवीवीएनएल	पीयूवीवीएनएल	केस्को	
2018-19	01-11-17	29-10-18	29-10-18	29-10-18	29-10-18	29-10-18	362 दिन ²¹
2019-20	01-11-18	11-03-19	11-03-19	11-03-19	11-03-19	11-03-19	130 दिन
2020-21	30-11-19	30-06-20	30-06-20	01-07-20	30-06-20	29-06-20	213 दिन ²²
2021-22	30-11-20	22-02-21	22-02-21	22-02-21	22-02-21	22-02-21	84 दिन
2022-23	30-11-21	08-03-22	08-03-22	08-03-22	08-03-22	08-03-22	98 दिन

स्रोत: वितरण कम्पनियों द्वारा यूपीईआरसी में दाखिल टैरिफ याचिकाएँ

उपरोक्त तालिका से, यह देखा जा सकता है कि विनियम एवं उदय एमओयू के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्दिष्ट समयसीमा के उल्लंघन में वितरण कम्पनियों ने 2016–17 से 2022–23 के दौरान टैरिफ याचिकाएं 7 दिनों से लेकर 362 दिनों के विलम्ब के साथ प्रस्तुत की तथा यूपीईआरसी द्वारा मांगी गयी अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में भी वितरण कम्पनियों के स्तर पर विलम्ब था, जिसके परिणामस्वरूप यूपीईआरसी द्वारा टैरिफ आदेश निर्गत करने में विलम्ब हुआ। टैरिफ के अन्तिमीकरण में विलम्ब के विवरण नीचे तालिका 3.12 में दिये गये हैं।

तालिका 3.12: टैरिफ के अन्तिमीकरण में विलम्ब

वर्ष	यूपीईआरसी के ऐडमिटेन्स आर्डर की तिथि ²³	यूपीईआरसी द्वारा टैरिफ आदेश के अन्तिमीकरण की तिथि	सम्बन्धित वर्ष ²⁴ के, 1 अप्रैल से आगणित टैरिफ के अन्तिमीकरण में विलम्ब
2016-17	29-03-16	01-08-16	4 माह
2017-18	04-09-17	30-11-17	8 माह
2018-19	13-11-18	22-01-19	10 माह
2019-20	01-07-19	03-09-19	5 माह
2020-21	28-07-20	11-11-20	7 माह
2021-22	08-04-21	29-07-21	4 माह
2022-23	21-04-22	20-07-22	3 माह

स्रोत: यूपीईआरसी का टैरिफ आदेश/टू-अप आदेश

टैरिफ आदेशों के अन्तिमीकरण में विलम्ब के परिणामस्वरूप वितरण कम्पनियों द्वारा उपभोक्ताओं से ₹ 7,143.97 करोड़²⁵ के बढ़े हुए टैरिफ की वसूली में 2016–17 से 2019–20 और 2022–23²⁶ की अवधि के दौरान विलम्ब हुआ। अग्रेतर, 2020–21 से 2022–23 के दौरान विद्युत दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई (2022–23 में एलएमवी-8 श्रेणी के उपभोक्ताओं को छोड़कर) जिससे विद्युत लागत की तुलना में कम राजस्व प्राप्त हुआ, जिससे एसीएस-एआरआर अंतर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

वितरण कम्पनियों द्वारा टैरिफ याचिका दायर करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं से ₹ 7,143.97 करोड़ की बढ़ी हुई टैरिफ की वसूली में विलम्ब हुआ।

²¹ वित्तीय वर्ष 2018–19 के टैरिफ निर्धारण के लिए यूपीईआरसी (आदेश दिनांक 30 अगस्त 2018) द्वारा कार्यवाही स्वतः आरम्भ करने के बाद वितरण कम्पनियों द्वारा टैरिफ याचिका प्रस्तुत की गयी।

²² पीवीवीएनएल एवं केस्को के मामले में, विलम्ब क्रमशः 214 दिन एवं 212 दिनों का था।

²³ वह तिथि जिस पर यूपीईआरसी (बहुवर्षीय वितरण टैरिफ) विनियम, 2014 में निर्दिष्ट सभी आवश्यकताओं के अनुपालन में सभी आवश्यक सूचना, विवरण और दस्तावेजों के साथ पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर, यूपीईआरसी ऐडमिटेन्स आदेश निर्गत करेगा।

²⁴ विनियमन के अनुसार टैरिफ याचिका प्रस्तुत करने की तिथि (1 नवम्बर या 30 नवम्बर जो भी लागू हो) + यूपीईआरसी द्वारा टैरिफ के अन्तिमीकरण के लिए निर्दिष्ट 120 दिन।

²⁵ सम्बन्धित वर्ष के मार्च अंत के उपभोक्ता आधार को लेते हुए प्रत्येक श्रेणी के अनुमोदित टैरिफ दर में अंतर पर आगणित।

²⁶ 2022–23 के दौरान, एलएमवी-8 (एसटीडब्ल्यू, पंचायती राज टयूबवेल और पंप नहरों) के लिए लागू टैरिफ को उच्च टैरिफ वाले एलएमवी-7 (सार्वजनिक जल कार्य) के साथ विलय कर दिया गया है इसलिए, केवल एलएमवी-8 उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ दर बढ़ा हुआ है।

उत्तर में, विभाग ने कहा कि टैरिफ प्रस्ताव द्वारा भरपाई किये जाने वाले राजस्व अंतर की गणना हेतु सरकारी सब्सिडी की धनराशि के बारे में सूचना अपेक्षित थी। सब्सिडी की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार का विशेषाधिकार है और वितरण कम्पनियों का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। उपरोक्त के कारण, टैरिफ याचिकाओं को प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ। अग्रेतर, यूपीईआरसी ने अनुज्ञप्तिधारियों को एआरआर से सम्बन्धित सूचना नए प्रारूपों के अन्तर्गत जमा करने के लिए अधिदेशित किया था और इसके लिए डाटा विभिन्न वितरण कम्पनियों से एकत्र किया जाता है, जिसमें समय अधिक लगता है और इसके परिणामस्वरूप टैरिफ याचिकाएं दाखिल करने में विलम्ब होता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वितरण कम्पनियों ने उ.प्र. सरकार से सब्सिडी आदेश प्राप्त होने से पहले टैरिफ याचिकाएं दाखिल की थीं। इसलिए वितरण कम्पनियों द्वारा टैरिफ याचिकाओं को दाखिल करने में विलम्ब के इस कारण को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अग्रेतर, टैरिफ याचिकाएं दाखिल करना एक नियमित घटना है जो प्रत्येक वर्ष की जानी है। इसलिए, सम्बन्धित कार्य समय पर प्रारम्भ और पूर्ण किया जाना चाहिए ताकि टैरिफ याचिकाएं समय पर दाखिल की जा सकें।

संस्तुति 5:

उपभोक्ताओं से बढ़े हुये टैरिफ की वसूली में विलम्ब से बचने के लिए वितरण कम्पनियों को यूपीईआरसी के समक्ष टैरिफ याचिकाएं समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना चाहिए।

वार्षिक लेखे तैयार करने में विलम्ब

3.4.9 उदय एमओयू के क्लॉज 1.3 (के) (iii) में प्रावधानित है कि वितरण कम्पनियाँ वार्षिक लेखों को समय पर तैयार करेंगी, जिससे टैरिफ याचिकाओं को समय पर दाखिल करने में भी सहायता मिलेगी। अग्रेतर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (2) के साथ पठित धारा 96 में प्रावधान है कि कम्पनी की प्रथम वार्षिक आम बैठक (एजीएम) पहले वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि से नौ माह की अवधि के अंदर और अन्य मामले में, सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के समापन की तिथि से छः माह की अवधि के अंदर, आयोजित की जाएगी तथा प्रत्येक एजीएम में, कम्पनी का निदेशक मण्डल, ऐसी बैठक के समक्ष वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखे प्रस्तुत करेगा। इस प्रकार, कम्पनी के वित्तीय लेखे, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छः माह की अवधि के भीतर यथा प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक, तैयार कर लिये जाने चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वितरण कम्पनियों के वार्षिक लेखों को वर्ष 2015–16, 2016–17, 2019–20 एवं 2020–21 (परिशिष्ट-3.4) में अन्तिमीकरण की निर्धारित तिथि से दो माह से लेकर 15 माह तक की देरी से तैयार किया गया था। वर्ष 2017–18 (पीवीवीएनएल को छोड़कर), 2018–19 और 2021–22 में, वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देने की निर्धारित तिथि के भीतर ही तैयार कर लिया गया था। वार्षिक लेखों के अन्तिमीकरण में विलम्ब के परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार राजस्व एवं व्यय के वास्तविक आंकड़ों पर आधारित, टैरिफ के ट्रू-अप में विलम्ब हुआ।

उत्तर में, विभाग ने कहा कि 1 अप्रैल 2007 से पारेषण व्यापार का हस्तांतरण उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी को होने के पश्चात् वर्ष 2007–08 के प्रारम्भिक लेखों को तैयार करने में चार वर्षों का विलम्ब हुआ जिसके कारण अनुवर्ती वर्षों में भी लेखों के अन्तिमीकरण में विलम्ब हुआ। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में वार्षिक लेखों का अन्तिमीकरण और उनकी लेखापरीक्षा, प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर से पहले कर ली जा रही है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 2007–08 में पारेषण व्यापार के अलग होने के बाद भी लेखों के अन्तिमीकरण को सुव्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त समय था। इसलिए, उपरोक्त वर्षों के दौरान वार्षिक लेखें समय पर तैयार किए जाने चाहिए थे।

शत-प्रतिशत फीडर मीटरिंग करने में विलम्ब

3.4.10 उदय एमओयू के क्लॉज 1.3 (आई) (v) के अनुसार 100 प्रतिशत फीडर²⁷ मीटरिंग प्राप्त करने की लक्ष्य तिथि 30 सितम्बर 2016 निर्धारित थी। उच्च हानि वाले फीडरों की पहचान करने और सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए फीडर मीटरिंग की आवश्यकता होती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वितरण कम्पनियों ने सितम्बर 2016 तक 2,862 फीडरों²⁸ के सापेक्ष 2,120 फीडरों पर फीडर मीटरिंग पूरी कर ली थी। यद्यपि, वितरण कम्पनियों ने बाद में 31 मार्च 2020 तक सभी फीडरों पर फीडर मीटरिंग पूरी कर ली थी, किन्तु फीडर मीटरिंग में विलम्ब के परिणामस्वरूप विलम्ब अवधि के दौरान उच्च हानि वाले फीडरों की पहचान करने और सुधारात्मक कार्रवाई में विफलता रही।

उत्तर में, विभाग ने स्वीकार किया (मार्च 2023) कि धन की कमी के कारण फीडर मीटरिंग का लक्ष्य समय पर प्राप्त नहीं किया जा सका। हालाँकि, मार्च 2020 तक सभी फीडरों की मीटरिंग कर ली गयी।

शत-प्रतिशत वितरण परिवर्तक मीटरिंग के लक्ष्यों को प्राप्त न करना

3.4.11 उदय एमओयू के क्लॉज 1.3 (आई) (iv) के अनुसार, 100 प्रतिशत वितरण परिवर्तक (डीटी) मीटरिंग पूर्ण करने की लक्ष्य तिथि 30 सितम्बर 2017 निर्धारित थी।

वितरण कम्पनियों द्वारा डीटी मीटरिंग के निर्धारित लक्ष्य और दिनांक 30 सितम्बर 2017 तक उनकी वास्तविक स्थापना **तालिका 3.13** में दर्शायी गयी है।

तालिका 3.13: 30 सितम्बर 2017 को वितरण कम्पनियों द्वारा डीटी मीटरिंग का लक्ष्य एवं उपलब्धि

वितरण कम्पनी का नाम	उदय पोर्टल के अनुसार लक्ष्य	30 सितम्बर 2017 तक लगाए गए डीटी मीटर	लक्ष्य के सापेक्ष कमी	कमी प्रतिशत में
डीवीवीएनएल	3,948	1,892	2,056	52
एमवीवीएनएल	45,395	0	45,395	100
पीवीवीएनएल	2,21,192	7,255	2,13,937	97
पीयूवीवीएनएल	3,12,190	16,624	2,95,566	95
केस्को	4,014	2,742	1,272	32
योग	5,86,739	28,513	5,58,226	

स्रोत: उदय पोर्टल पर उपलब्ध सूचना

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि वितरण कम्पनियाँ 30 सितम्बर 2017 तक डीटी मीटर लगाने के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकीं और वितरण कम्पनी-वार कमी 32 से 100 प्रतिशत तक रही। अग्रेतर, कोई वितरण कम्पनी, अक्टूबर 2022 तक भी, डीटी मीटरिंग के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी क्योंकि कुल 25,67,667 स्थापित वितरण परिवर्तकों के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 3,52,889 (13.74 प्रतिशत) ही उपलब्धि रही। इसके परिणामस्वरूप, सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु, अधिक हानि वाले क्षेत्रों की पहचान करने में विफलता रही।

उत्तर में, विभाग ने कहा कि डीटी मीटर स्थापना कार्य सम्बन्धित योजनाओं के अन्तर्गत धन की उपलब्धता पर निर्भर था। अब रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर योजना के अन्तर्गत सभी वितरण कम्पनियों द्वारा समस्त परिवर्तकों पर स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

²⁷ फीडर का अर्थ है किसी सब-स्टेशन से निकलने वाली हाई टेंशन या एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन जिससे वितरण उपकेन्द्र या हाई टेंशन या एक्स्ट्रा हाई टेंशन उपभोक्ता या लो टेंशन लाइन जुड़ी हो।

²⁸ 31 मार्च 2016 तक।

तथ्य यह है कि उदय एमओयू में परिकल्पित 100 प्रतिशत मीटरिंग के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।

फीडर पृथक्करण कार्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विलम्ब

3.4.12 उदय एमओयू के क्लॉज 1.3 (आई) (viii) के अनुसार, वितरण कम्पनियाँ मार्च 2018 तक, सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत धन की संस्वीकृति के अनुसार भौतिक फीडर पृथक्करण का कार्य करेंगी।

वितरण कम्पनियों ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत, 2,227 कृषि फीडरों के पृथक्करण का लक्ष्य निर्धारित किया था। वितरण कम्पनी-वार लक्ष्य और उपलब्धि नीचे **तालिका 3.14** में दी गयी है।

तालिका 3.14: वितरण कम्पनियों द्वारा फीडर पृथक्करण का लक्ष्य एवं उपलब्धि

क्र. सं.	वितरण कम्पनी का नाम	फीडर पृथक्करण हेतु नियत लक्ष्य	मार्च 2018 तक उपलब्धि	लक्ष्य के सापेक्ष कमी	कमी प्रतिशत में	मार्च 2021 तक उपलब्धि
1.	डीवीवीएनएल	691	283	408	59	691
2.	एमवीवीएनएल	184	91	93	51	184
3.	पीवीवीएनएल	1,154	374	780	68	1,154
4.	पीयूवीवीएनएल	198	47	151	76	198
योग		2,227	795	1,432	64	2,227

स्रोत: यूपीपीसीएल द्वारा दी गयी सूचना

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 64 प्रतिशत कृषि फीडरों को उदय योजना की निर्धारित समय-सीमा के अंदर पृथक्करण नहीं किया जा सका और वितरण कम्पनी-वार कमी 51 से 76 प्रतिशत के मध्य रही। हालाँकि, लक्ष्य मार्च 2021 के अंत तक प्राप्त कर लिए गए थे।

विभाग ने उत्तर दिया कि निविदा में प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं जैसे कि बोलीदाताओं की गैर/कम भागीदारी तथा पुनः निविदा के कारण, अनुबंध प्रदान करने में एक से छः माह तक का प्रारंभिक विलम्ब हुआ। तत्पश्चात्, राइट ऑफ़ वे मामले (एनएच/रेलवे क्रॉसिंग, लाइनों के विचलन, ग्रामीणों की आपत्तियाँ, भारी वर्षा, मार्ग पर फसलें), कोविड-19 महामारी, साइटों की स्थिति के अनुसार अतिरिक्त कार्यों के निष्पादन आदि जैसे विभिन्न कारकों के कारण कार्य पूर्ण होने में विलम्ब हुआ, जिसके लिए आरईसी से अतिरिक्त समय मांगा गया था। हालाँकि, डीडीयूजीजेवाई (नवीन) योजना के अन्तर्गत फीडर पृथक्करण का कार्य विस्तारित समय-सीमा यथा मार्च 2021 के अंदर पूर्ण कर लिया गया है और सभी परियोजनाओं के लिए क्लोज़र, आरईसी को प्रस्तुत एवं उनके द्वारा उसका अनुमोदन कर दिया गया है।

तथ्य यह है कि फीडर पृथक्करण कार्य उदय एमओयू में निर्धारित समय के अंदर पूर्ण नहीं किया जा सका।

स्मार्ट मीटर लगाने के लक्ष्य की कम प्राप्ति

3.4.13 उदय एमओयू के अनुसार, प्रति माह 500 यूनिट से अधिक उपभोग करने वाले सभी उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर²⁹ लगाने की लक्षित तिथि 30 जून 2018 तथा 200 यूनिट प्रति माह से अधिक उपभोग करने वाले सभी उपभोक्ताओं के लिए 31 मार्च 2020 निर्धारित थी। मार्च 2020 तक सभी वितरण कम्पनियों में स्मार्ट मीटरिंग के लिए पात्र उपभोक्ताओं की कुल संख्या 37.34 लाख थी।

²⁹ मीटर जिनमें, बाई डायरेक्शनल कम्यूनिकेशन, इंटीग्रेटेड लोड लिमिट, कनेक्ट/डिस्कनेक्ट स्विच, प्रीपेड/टाइम ऑफ़ डे फीचर्स, टैम्पर इवेंट डिटेक्शन, रिकॉर्डिंग एवं रिपोर्टिंग और नेट मीटरिंग आदि फीचर्स होते हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यूपीपीसीएल ने अगस्त 2018 में यूपीईआरसी को स्मार्ट मीटरिंग रोल आउट प्लान प्रस्तुत किया था, जिसे यूपीईआरसी द्वारा नवम्बर 2018 में अनुमोदित किया गया था। रोल आउट प्लान के अनुसार स्मार्ट मीटरिंग को उदय एमओयू में उल्लिखित, उपभोग आधारित स्मार्ट मीटरिंग के बजाय शहरी क्षेत्रों, उच्च ऊर्जा इनपुट और उच्च एटीएंडसी हानि वाले क्षेत्रों में किया जाना था। रोल आउट प्लान में वितरण कम्पनियों द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने के लिए वर्ष-वार लक्ष्य दिये गये थे, जैसा कि नीचे तालिका 3.15 में उल्लिखित है।

तालिका 3.15: रोल आउट प्लान के अनुसार वर्ष-वार स्मार्ट मीटरिंग लक्ष्य (संख्या लाख में)

वितरण कम्पनी	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	कुल
(अ)	(ब)	(स)	(द)	(य)
डीवीवीएनएल	2.12	2.64	1.53	6.29
एमवीवीएनएल	2.32	2.37	4.35	9.04
पीवीवीएनएल	4.01	4.18	3.44	11.63
पीयूवीवीएनएल	5.11	4.95	1.41	11.47
केस्को	1.32	0.25	0	1.57
योग	14.88	14.39	10.73	40.00

स्रोत: यूपीपीसीएल द्वारा यूपीईआरसी को प्रस्तुत की गयी सूचना

लेखापरीक्षा में अग्रेतर पाया गया कि 40 लाख स्मार्ट मीटरिंग के लक्ष्य के सापेक्ष, वितरण कम्पनियाँ मार्च 2022 तक केवल 11.54 लाख³⁰ स्मार्ट मीटर ही स्थापित कर सकीं।

इस प्रकार, लक्ष्य के अनुसार स्मार्ट मीटरों की स्थापना में विफलता के कारण, वितरण कम्पनियों को चोरी में कमी और बिलिंग दक्षता में सुधार का इच्छित लाभ नहीं मिल सका, जो कि वितरण कम्पनियों के एटीएंडसी हानि कम करने में सहायता कर सकते थे।

विभाग ने उत्तर में कहा कि यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित रोल आउट प्लान में स्मार्ट मीटरिंग के लिए उपभोग के बजाय, एटीएंडसी हानि आधारित क्षेत्र चुना गया था। अग्रेतर, सीमित आपूर्ति के अतिरिक्त आपूर्तिकर्ताओं के स्तर पर कई तकनीकी एवं व्यावहारिक जटिलताओं का सामना करना पड़ा, जिसमें काफी समय नष्ट हुआ। उपर्युक्त के अतिरिक्त, उपभोक्ताओं में स्मार्ट मीटर के बारे में गलत धारणाएं थी और वितरण कम्पनियों के अधिकारियों/कर्मचारियों में सूचना एवं जागरूकता का अभाव था। अगस्त 2020 में मीटर की गुणवत्ता एवं परियोजना के कुछ तकनीकी पहलुओं में सुधार के लिए परियोजना का कार्य अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उदय एमओयू पर जनवरी 2016 में हस्ताक्षर किए गए थे जबकि यूपीपीसीएल ने अप्रैल 2018 अर्थात् उदय एमओयू पर हस्ताक्षर करने के दो वर्ष से अधिक समय के पश्चात् स्मार्ट मीटर लगाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। परियोजना की शुरुआत में इस विलम्ब ने परियोजना के कार्यान्वयन में और अधिक विलम्ब किया। अग्रेतर, रोल आउट प्लान में उल्लिखित लक्ष्य वितरण कम्पनियों द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सके।

उदय के अन्तर्गत वितरण कम्पनियों के प्रदर्शन का अनुश्रवण

3.5 उदय के अन्तर्गत वितरण कम्पनियों के प्रदर्शन के अनुश्रवण पर चर्चा नीचे की गयी है:

वितरण कम्पनियों के स्तर पर उदय का अनुश्रवण

3.5.1 उदय एमओयू के क्लॉज 1.3 (क्यू) एवं (आर) में प्रावधान है कि वितरण कम्पनियों के प्रदर्शन की समीक्षा मासिक आधार पर वितरण कम्पनियों के सीएमडी/एमडी द्वारा की

³⁰ डीवीवीएनएल: 1.48 लाख, एमवीवीएनएल: 3.79 लाख, पीवीवीएनएल: 1.99 लाख, पीयूवीवीएनएल: 3.21 लाख एवं केस्को: 1.07 लाख।

जाएगी और त्रैमासिक लक्ष्यों के साथ मासिक अनुश्रवण प्रपत्र 31 मार्च 2016 तक वितरण कम्पनियों द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

वितरण कम्पनियाँ, लेखापरीक्षा को, उदय योजना के अन्तर्गत अनुश्रवण सम्बन्धी दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध कराने में विफल रहीं। अभिलेखों के अभाव में वितरण कम्पनियों द्वारा उदय के अनुश्रवण की जाँच, लेखापरीक्षा में नहीं की जा सकी।

विभाग ने उत्तर दिया कि उदय मापदण्डों की प्रगति के अनुश्रवण के लिए प्रत्येक वितरण कम्पनी में समर्पित उदय सेल बनाए गए थे। खण्ड कार्यालयों के लिए मासिक लक्ष्य निर्धारित किए गए थे तथा नियमित अनुश्रवण किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा को अनुश्रवण सम्बन्धी अभिलेख जैसे मासिक बैठको के कार्यवृत्त, प्रदान नहीं किए गए थे।

उदय पोर्टल पर गलत रिपोर्टिंग

3.5.2 उदय ओएम के क्लॉज 6.2 में प्रावधान है कि ऊर्जा मंत्रालय किसी भी चूक को रोकने के लिए मासिक आधार पर वितरण कम्पनियों के प्रदर्शन का अनुश्रवण सुनिश्चित करने हेतु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधित्व के साथ उपयुक्त समीक्षा तंत्र तैयार करेगा। प्रदर्शन के अनुश्रवण के लिए, वितरण कम्पनियाँ अपनी मासिक उपलब्धियाँ, उदय पोर्टल³¹ पर अपलोड करेंगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वितरण कम्पनियों ने, उदय पोर्टल पर, उदय एमओयू में उल्लिखित विभिन्न मापदण्डों की सूचना, अनन्तिम आँकड़ों के आधार पर दी। हालाँकि, वास्तविक आँकड़े उपलब्ध होने के बाद भी वितरण कम्पनियों द्वारा इसे पोर्टल पर अपडेट नहीं किया गया। उदय पोर्टल पर, एटीएंडसी हानियों एवं एसीएस-एआरआर अंतर के वास्तविक एवं रिपोर्ट किये गए आँकड़ों में विचलन का विवरण नीचे तालिका 3.16 में दिया गया है।

तालिका 3.16: उदय पोर्टल पर एटीएंडसी हानियों और एसीएस-एआरआर अंतर के वास्तविक आँकड़ों एवं रिपोर्ट किये गए आँकड़ों का विवरण

एटीएंडसी हानियाँ:

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
एटीएंडसी हानि के वास्तविक आँकड़े	प्रतिशत	39.86	40.97	37.78	33.40	30.02
अनन्तिम आँकड़ों के आधार पर उदय पोर्टल पर प्रदर्शित एटीएंडसी हानि	प्रतिशत	32.09	30.21	27.67	24.64	30.30

स्रोत: यूपीपीसीएल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना तथा उदय पोर्टल पर रिपोर्ट किये गए आँकड़े

एसीएस-एआरआर अंतर:

विवरण	इकाई	2019-20
एसीएस-एआरआर अंतर के वास्तविक आँकड़े	₹ प्रति यूनिट	- 0.34
अनन्तिम आँकड़ों के आधार पर उदय पोर्टल पर प्रदर्शित एसीएस-एआरआर अंतर	₹ प्रति यूनिट	- 0.07

स्रोत: यूपीपीसीएल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना तथा उदय पोर्टल पर रिपोर्ट किये गए आँकड़े

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि उदय पोर्टल पर एटीएंडसी हानियों और एसीएस-एआरआर अंतर की गलत सूचना रिपोर्ट की गयी थी।

³¹ उदय पोर्टल भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा बनाया गया एक पोर्टल है, जो उदय योजना में निर्धारित विभिन्न मापदण्डों पर विभिन्न राज्यों द्वारा प्राप्त की गयी प्रगति को दर्शाता है।

विभाग ने कहा कि वितरण कम्पनियों द्वारा फीडिंग के समय उपलब्ध डाटा को पोर्टल पर अपलोड किया गया था। प्रारंभिक वर्षों के डाटा में अंतर था, हालाँकि, वर्ष 2019-20 में अपलोड किए गए आंकड़े लगभग समान हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उदय पोर्टल पर वास्तविक डाटा फीड करना वितरण कम्पनियों का उत्तरदायित्व था।

निष्कर्ष

अपनी बिलिंग दक्षता एवं संग्रहण दक्षता में सुधार न कर पाने की वजह से, जो मुख्यतः, बिना मीटर वाले संयोजनों पर मीटरों की स्थापना में विफलता, दोषपूर्ण मीटरों की अधिक संख्या, उच्च वितरण हानियाँ, बकायों की वसूली में विफलता तथा विभागीय उपभोक्ताओं से टैरिफ की कम वसूली के कारण थी, वितरण कम्पनियाँ उदय योजना के अन्तर्गत, 2019-20 तक एटीएंडसी हानि को घटाकर 14.86 प्रतिशत तक करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहीं।

औसत विद्युत क्रय लागत कम न हो पाने की वजह से जो मुख्यतः स्वीकार्य मानको से अधिक व्यय की अस्वीकृति, अननुमोदित स्रोतों से विद्युत क्रय, उत्पादकों को विलम्बित भुगतान अधिभार का भुगतान, बिना मीटर वाले संयोजनों में शत-प्रतिशत मीटर लगाने में विफलता, विभागीय उपभोक्ताओं से टैरिफ दर के स्थान पर निश्चित दर की वसूली, समय पर टैरिफ याचिका दाखिल करने में विफलता, टैरिफ में संशोधन न होने आदि के कारण थी, वितरण कम्पनियाँ 2019-20 की लक्षित अवधि तक एसीएस-एआरआर अंतर को समाप्त करने में भी विफल रहीं।

वितरण कम्पनियाँ, डीटी मीटरिंग, स्मार्ट मीटरिंग, टैरिफ याचिकाओं को समय पर दाखिल करने के सम्बन्ध में उदय योजना के अन्तर्गत निर्धारित विभिन्न परिचालन मानदण्डों को प्राप्त नहीं कर सकी। वितरण कम्पनी के स्तर पर उदय योजना के कार्यान्वयन के अनुश्रवण में भी कमी थी।

परिणामस्वरूप, उदय योजना में परिकल्पित परिचालन टर्नअराउंड का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।